Government of Haryana

From

Additional Chief Secretary, to Govt. of Haryana,
Planning Department.
No. DESA(Plan Coord.)-2017/7160
Dated 2-5-2017

Subject: Haryana's Vision 2030- Draft Document.

अधिकारीगण कृपया वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें 1

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Planning Department ने अपने पत्र क्र0 Desa(Plan Courd)-2017/7160 dated 2nd May, 2017 के अंतर्गत विभागों से प्राप्त रिपोर्ट व मीटिंग के सहयोग से the States Draft Vision 2030 Document तैयार किया गया हैं जो जल्दी ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा लांच किया जा रहा है 1 The Draft Vision 2030 document of www.esaharyana.gov.in पर available हैं 1 Draft Vision 2030 पर comments detailed (if any) एक सप्ताह के अन्दर भेजने को कहा है 1

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि Draft Vision 2030 में 17 Goals and 169 targets शामिल किये गए हैं 1

Clustering of SPGs for Working Groups for Haryana इस प्रकार है:-

Working Group	SDG Thematic cluster	Administrative Deptts.	Chairman of working group	Member Secretary of Working Group
Gropu 1	SDG 1. End Povery SDG 2. No Hunger(except nutrition) SDG 12. Sustainable Consumption and production	• Developments nd panchayats • Agriculture(including Animal Husbandry, Dairy, Horticulture) • Fisheries • Health (Food and Drugs Administration) • Food & Supplies • Revenue • Industries • Urban Local Bodies • Welfare of SCs and BCs • Public Health Engineering • Social Justice and Empowerment • Medical education	ACS Development and Panchayats	Director cum special Secretary, Development and Panchayats
Group 2	SDG 2. Zero Hunger SDG 3. Good and Well Being	• Health • Public Health engineering • Labour & Employment • Women & Child	ACS, Health Department	Director General, Health Department.

Government of Haryana

	SDG 6. Clean Water and Sanitation	Development • Haryana Urban Development Authority (HUDA) • Urban Local Bodies • Town & country Planning • Medical Education • Development and Panhayats • Revenue • Social justice & empowerment • Agriculture		
Group 3	SDG 4. Quality Education	• School Education (Elementary and Secondary) • Electronics & I.T. • Higher Education • Industrail Training • Welfare of SCs and BCs • Technical Education • Social justice & empowerment • Revenue	ACS, School Education Department	Director, Elementary Education Department
Group 4	SDG 7. Affordable and Clean Energy	• Power • New and Renewable Energy • Urban Development	ACS, Power Department	MD HVPNAL cum Principal secretary, Power Department
Group 5	SDG 5. Gender Equality SDG 10. Reduced inequalities SDG 16. Peace, Jusitce and Strong Institutions SDG 17. Partnerships for the Goals	• Women & Chil Development • Developments nd panchayats • Revenue • Social justice & empowerment • Welfare of SCs and BCs • Home & Administration of justice	ACS, Women & Child Development	Director cum Special Secretary, women & child Development
Group 6	SDG 13. Climate Action SDG 14. Life Below Water	• Environment • Forest and Wildlife • Mines and Geology • Fisheries	Principal Secretary, Environment Department	Director, Environment Department

Government of Haryana

	SDG 15. Life on Land	• Irrigation • Revenue and Disaster Management and Consolidation • Tourism		
Group 7	SDG 8. Decent Work and Economic Growth SDG 9. Industry Innovation and Infrastructure SDG 11. Sustainable Cities and Communities	• Industries • Development and Panchayats • Urban Local Bodies • Social justice & empowerment • Electronics & I.T. • Public works (Bridges and Roads) • Transport • Civil Aviation • Agriculture • Labour and Employment • Town and Country planning Industrial training • Haryana Urban Development Authority • Tourism	Principal Secretary, Industries Department	Director cum Special Secretary, Industries Department

2030 Vision Document Write-up Workbook

Guiding Principle for Articulation of SDG Vision-

- Leaving no one behind, reaching the furthest first
- Integrated approach to sustainable development as opposed to work-alone approach
- Universality

Working group number	1
Chairperson	ACS Developments and Panchayats
Departments represented	13 Developments and Panchayats 14 Agriculture (including Animal Husbandry, Dairy, Horticulture) 15 Fisheries 16 Health (food and Drugs Administration) 17 food and Supplies 18 Revenue 19 Industries 20 Urban Local Bodies 21Welfare of SCs and BCs 22 Public Health Engineering 23 Social Justice and Empowerment 24 Medical Education

Government of Haryana

Sustainable Development Goal	SDG 1. End Poverty SDG 2. No Hunger (except nutrition) SDG 12. Sustainable consumption and Production
Key Focus areas for each SDG (Please mention 2-3 focus/priority areas for every SDG keeping the SDG targets in mind)	Key Focus areas SDG 1 1. 2. 3. Key Focus areas SDG 2 1. 2. 3. Key Focus areas SDG 12 1. 2. 3.

उक्त तालिका के सम्बन्ध में इस विभाग से सम्बन्धित कोई Goals व targets नही है 1 इस सम्बन्ध में विभाग की सूचना शून्य हैं 1 इसके अतितिक्त तकनीकी शाखा द्वारा इस विभाग का Draft Vision 2030 तैयार करवा लिया गया है जो पताका 'क' पर उपलब्ध है 1

कृपया प्रधान सचिव अभिलेख महोदय के सूचनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत हैं 1

Anil Kumar AsstH.
4.5.2017

SA

W.D.G.A

PS(A)

Inform as per 'A'.

O/o PSCA/Archives
Diary No. (File) 1003
Dated 09.05.2017

(Dr. Sumita Misra) IAS
PS

DGA

AO

SA

Asstt-III

स्वच्छ. प्रारूप अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ

प्रस्तुत है।

Sunil Kumar ASH
12/5/2017

SA

अंकित

12/5/17

Manju
12.5.17

SA

कृ जारी करें।

12/5/17

Desp
ASH-III
Issue No- 642
12-05-17

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Government of Haryana
हरियाणा सरकार

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग ।

क्रं0 DESA (Plg.-Coord)-2019/11774-75
दिनांक 17.9.2019

विषय:- Meeting regarding Perspective Planning and Future Vision.

वि0प0

कृपया अधिकारीगण वि0प0 का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, योजना विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17.9.2019 के अंतर्गत सूचित किया है कि सम्बन्धित विभागों के Perspective Planning and Future Vision के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 18.9.2019 को हरियाणा निवास, सैक्टर-3 चंडीगढ़ में सभी विभागाध्यक्षों के साथ प्रात: 11.00 बजे व प्रशासनिक सचिवों के साथ दोपहर 3.00 बजे मीटिंग होनी निश्चित हुई है ।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि विभाग के Perspective Planning and Future Vision इस प्रकार है:-

1. **<u>Digitalization of Records</u>**:-इस विभाग में 1857 से आगे तक का रिकॉर्ड अवाप्त किया गया है । इस रिकॉर्ड के लगभग 2.50 करोड़ पृष्ठ बनते है । यह रिकॉर्ड काफी पुराना हो चुके है जिसे Digitalization किया जाना अति आवश्यक है । अत: इस विभाग द्वारा इस रिकॉर्ड को digitize करने का भविष्य में प्लान है । इससे हमारा पूरा रिकॉर्ड digitize हो जायेगा । जिसमे रिकॉर्ड खराब होने का खतरा नही रहेगा तथा शोधकर्ताओं द्वारा उक्त रिकॉर्ड ऑनलाइन घर पर देखने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी । इस कार्य पर लगभग 5.00 करोड़ खर्च होने की सम्भवना है । Digitisation तथा Modern Record Room के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार है:-

1. Ensuring safe and secure upkeep of the physical records in galvanised metal boxes with proper racking system. Each record should have unique QR/Bar Code no. for easy & fast retieval.
2. Scanning & Digitalization of physical record into digital format with proper Indexing & Metadata for easy retieval under G2C & G2G services.
3. Software for easy and fast tracking of record, box & rack using QR code system.
4. Other services & IT infra under MRRR (Modern Record Room):
   - ICT infrastructure: Desktop Computer, UPS System, Scanner, Barcode Reader/Scanner, Barcode Printer, Mono System.
   - Local Area Network System,
   - IP based CCTV Systems,
   - Biometric/RFID Card based authentification/Access Control System
   - Ladders of adequate size and length, Temperature & Humidity Digital Indicators,
   - Pest, Insects, Rodent & Rat Repellent Control System.

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

Government of Haryana
हरियाणा सरकार

2. **New Archives Acquisition:-** प्रथम नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद सभी विभागों द्वारा किये गए विकास कार्यों के रिकॉर्ड को अवाप्त करना तथा उसे चिरकाल तथा संरक्षित रखने की योजना है । इस सम्बन्ध में सभी विभागों की एक मीटिंग बुलाकर उनसे ऐसा सभी रिकॉर्ड प्राप्त किया जायेगा जिससे उनके विभागों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को अभिलेखागार विभाग में रखा सकें ।

3. **To Acquire all records relating to Haryana all over India:-**
देश के सभी राज्यों में अभिलेखागार स्थापित है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में स्थित है । इन अभिलेखागारों में हरियाणा से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है, जिसके लिए विभाग द्वारा सभी राज्य अभिलेखागारों में जाकर हरियाणा से सम्बन्धित रिकॉर्ड की पहचान की जाएगी । पहचान किए गए रिकॉर्ड की फोटोप्रति विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी । इससे हरियाणा राज्य का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो देश के विभिन्न स्थानों पर बिखरा पड़ा है । हरियाणा राज्य अभिलेखागार में संरक्षित किया जायेगा । इससे हरियाणा के इतिहास से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हो सकें ।

4. **Public Record Act::-** विभाग द्वारा सार्वजनिक तथा निजी प्रबंध, प्रशासन उनके परीक्षण के लिए Public Record Act बनाया जायेगा । जिससे अभिलेखों की देखभर का कण्ट्रोल राज्य अभिलेखागार विभाग के निदेशक के पास होगा । रिकॉर्ड को रखने हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता करना तथा सभी प्रकार के रिकॉर्ड को दीमक तथा कीड़े तथा अन्य हानिकारक कीटों से बचाने के लिए विभाग द्वारा कार्य किया जायेगा । ऐतिहासिक व दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करना तथा अभिलेखागार विभाग के मुख्य कार्य ऐतिहासिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के सरकारी एवं निजी अभिलेखों को प्रशासनिक सुविधाओं एवं ऐतिहासिक शोध के लिए प्राप्त करना, उनका उचित रख-रखाव व उन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने हेतु उनका संरक्षण करना तथा सरकारी अभिलेखों के प्रशासन, संरक्षण एवं निसरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देना है ताकि स्थायी महत्व के अभिलेख नष्ट न हो जाए । इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों और राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरणों को टेप रिकॉर्ड करना तथा ऐतिहासिक शोध व अध्यन को बढ़ावा देना भी विभाग का कार्य है ।

विभाग को अपने उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए किसी विधेयक की अनुपस्थिति में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड रहा है और विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण स्थायी अभिलेखों को भी बिना किसी निति के नष्ट किया जा रहा है । 'अभिलेख' विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है । इसके लिए कानून केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने स्तर पर बनाये जाने है । विभाग ने पूर्व में केंद्र सरकार की तर्ज पर अभिलेख कानून की अनुपस्थिति में विभिन्न विभागों के अभिलेखों को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से व् अभिलेखागार विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से संगठित करने के लिए अभिलेख निति संकल्प तैयार कर पारित किया परन्तु उसके परिणाम उत्साहवर्धक नही रहे । केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों व विभागों के महत्वपूर्ण अभिलेखों को चिरकाल तक संरक्षित रखने व नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से लोक अभिलेख विधेयक वर्ष 1993 में पारित कर प्रकाशित किया (प्रति सलंग्न) और वर्ष 1997 में लोक अभिलेख नियम प्रकाशित किये है । अब केंद्र सरकार

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Government of Haryana
हरियाणा सरकार

की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी अपने सभी विभागों, सार्वजानिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों व सरकार द्वारा बनाई गई समितियों के अभिलेखों के प्रबंध, प्रशासन व् उनके संरक्षण हेतू लोक अभिलेख विधेयक तैयार कर प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है । विधेयक की अनुपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण अभिलेखों को नष्ट करता है तो उसके विरुद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही नही की जा सकती है । लोक अभिलेख विधेयक पारित होने के पश्चात सभी विभागों व कर्मचारियों की अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जवाबदेही बन जाएगी । अत: यह उचित होगा की हरियाणा राज्य में भी लोक अभिलेख विधेयक तैयार कर प्रकाशित किया जाये । ऐसा करने से जहाँ एक ओर राज्य के सरकारी व गैर सरकारी महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट होने से बच सकेंगे और अवांछित अभिलेखों को रखने हेतू स्थान के किराये के रूप में दिए जाने वाले धन की भी बचत होगी ।

5. **Archives Gallery:-** विभाग का हरियाणा राज्य संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के साथ सैक्टर-5 में 2 एकड़ की जगह मिली हुई है । जिसका शिलान्यास हो चुका है । विभाग द्वारा विभागीय बिल्डिंग में स्थाई विभागीय प्रदर्शनी लगाने के लिए एक अलग सा औडिटोरियम बना लिया जाये, जिससे विभाग में आने वाले शोधकर्ताओं/कॉलेज के छात्रा/छात्राएं अभिलेखों के प्रति जागरूक हो सकें और आने वाली पीढियां उसका लाभ उठा सकें । इसके लिए बिल्डिंग में विभाग के ऐतिहासिक एवं दुर्लभ अभिलेखों व् फोटोग्राफ की फोटो गैलरी स्थापित करेगा ।

कृपया दिनांक 18.9.2019 को मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हरियाणा निवास, सैक्टर-3 चंडीगढ़ में Perspective Planning and Future Vision के सम्बन्ध में होने वाली मीटिंग हेतू प्रस्तुत है ।

CFMS No - 1690
dated 18-9-2019

17/9/19
Archivist
O/o Director, Archives Department

Dy Supdt

17-9-19

17.9.19
Deputy Director Archives
O/o Director, Archives Haryana

DDA
W. Dir. Archives

The above proposal is submitted for approval
ACS (Arch)

18/9
Director
Archives Department, Haryana

R/Today
18.9.19 at
2:20 pm

ACS has relinquished the charge. File is returned.
BG
PA/ACS
27.11.19

D. Archives (on training)
AE